an>

Title: Need to allocate Rs. 50,000 crore during next 5 years to develop Mumbai city.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आप जानते हैं कि मुम्बई शहर इस देश की आर्थिक राजधानी है। इस शहर की आबादी डेढ़ करोड़ से ज्यादा है। हमारी सरकार ने सौ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही है और हमें उस पर बहुत खुशी है। लेकिन यह बात भी जानने की आवश्यकता है कि हम सौ स्मार्ट सिटी बनाने की तो बात कर रहे हैं लेकिन जो पुराने शहर हैं जैसे कि मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और बैंगलुरू इत्यादि में जो झुग्गी-झौंपड़ियों की आबादी बढ़ रही है, खास कर के जो अर्बनाइजेशन का माहौल पैदा हुआ है और मुम्बई की आबादी डेढ़ करोड़ है, जिसमें से 62 परसेंट लोग, 90 लाख लोग झुग्गी-झौंपड़ियों में रहते हैं। उसमें से 25 लाख लोग पुरानी इमारतों में रहते हैं। कुछ इमारतें सौ साल तक पुरानी हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि हर परिवार को पक्का घर देंगे। लेकिन मैंने यह देखा कि इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अभी-अभी सदन में लैण्ड सीलिंग एक्ट और जेएनएनयूआरएम की बात कही गयी थी। सरकार ने जेएनएनयूआरएम की सहायता लेने के लिए राज्य सरकार से कहा कि वह लैण्ड सीलिंग एक्ट को निकाल दे और उन्होंने कहा कि लैण्ड सीलिंग एक्ट निकाल देने से घरों की कीमतें कम हो जाएंगी, घर और बनाए जा सकेंगे, लेकिन वह स्थिति नहीं आयी। सरकार ने जो निर्णय लिया, उससे मुम्बई के लोगों को और भी तकलीफ़ हो रही है। सारे आतंकवादी ऐसी ही झुग्गी-झौंपड़ियों या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका सहारा लेते हैं। आप यह जानते होंगे कि मुम्बई शहर पर किस प्रकार से हमले हुए हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सिर्फ अपनी डिमांड बोलिए।

श्री अरविंद सावंत : महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

यहां झुग्गी-झौंपड़ियां समुद्र के किनारों पर बनी हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट की नीति तो अपनायी है, लेकिन उन्होंने केवल नीति अपनायी है, कानून नहीं बनाया है, इसलिए मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हर एक को पक्का घर देना है तो मुम्बई शहर को हर वर्ष पचास हजार करोड़ रुपये दिए जाएं और यह पैसा अगले पांच वर्ष के लिए दिया जाए। क्लस्टर डेवलपमेंट का एक कानून बना कर और राज्य सरकार से समन्वय बना कर मुम्बई शहर को निश्चित रूप से एक आधार देने की आवश्यकता है और सरकार यह काम करेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। धन्यवाद।